राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) , बाड़मेर

कमांक प. 35( )/आ.प्र.एवं सहा/कोविड– 19/2021/6739 दिनांक :– 02.12.21

प्रेषित :–

सयुंक्त शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर

विषयः– चक्रवाती तुफान में नियोजित सदस्यों के मानदेय व विराम भत्ता का भुगतान करने हेतु बजट आंवटन करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि चक्रवाती तुफान को ध्यान में रखते हुए श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 17 मई 2021 को ली गई बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में चक्रवाती तुफान के मध्य नजर जिले के सम्बधित उपखण्ड अधिकारीयों को बचाव कार्य में सहयोग करने हेतु दिनांक 18 व 19 मई 2021 को उपखण्ड क्षेत्र यथा सिणधरी , गुडामालानी, सेड़वा , चौहटन में नागरिक सुरक्षा के 5–5 सदस्यों का दल भिजवाया गया तथा जिला मुख्यालय पर नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में 9 सदस्यों को राऊण्ड दी क्लॉक तैनात किया गया ।

चूकिं 20 सदस्यों को उपखण्ड क्षैत्रो एवं 9 सदस्यों को जिला मुख्यालय नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष पर अर्थात 29 सदस्यों को तैनात किया गया ।जिसमें से 6 सदस्य '' जिला त्वरित कार्यवाही दल '' से भिजवाये गये थे ।अतः शेष 23 सदस्यों का राज्य सरकार के नियमानुसार रूपये 590/– प्रति दिवस मानदेय एवं 15 कि.मी. से बाहरी क्षेत्र में भिजवाने पर न्यूनतम विराम भत्ता रूपये 250/– दर से कुल राशि रूपये 34,140/– अक्षरे चौतीस हजार एक सौ चालीस रूपये मात्र का बजट आंवटन करावें ।

कोविड– 19 के बढत संक्रमण के मध्य नजर रखते हुए जिले में मेडिकल या पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी को ध्यान में रखते हुए 14 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को राजकीय चिकित्सालय बाडमेर में तैनात किया गया । प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर के द्वारा माह मई 2021 की दी गई प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर नियमानुसार 1,91,160/– का भुगतान नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को किया जाना हैं। इस प्रकार कुल राशि 2,25,300/– रूपये का बजट आंवटन कराने की व्यवस्था करावें । ताकि इन्हे समय पर भुगतान किया जा सके ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ओम प्रकाश विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(आ.प्र. सहा.एवं नागरिक सुरक्षा) बाड़मेर